भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4012

उत्तर देने की तारीखः 25.03.2025

नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)

4012. श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती शांभवी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री राजेश वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत वर्ष के दौरान एनएपीडीडीआर से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और सभी राज्यों में इस कार्यक्रम का वर्तमान कवरेज कितना है;

(ख) क्या विगत एक वर्ष में देश में विशेषकर भारत-पाकिस्तान सीमा पर नशीली दवाओं की जब्ती की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन से युवा आबादी में नशीली दवाओं के दुरूपयोग में काफी कमी आई है;

(घ) क्या सरकार नशीली दवाओं के दुरूपयोग के मूल कारणों से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए कोई नई पहल करने की योजना बना रही है; और

(ड.) क्या विगत वर्ष नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत हुआ है और सीमा नियंत्रण तंत्र में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2023-24 में 5,81,813 हो गई है, जबकि वर्ष 2022-23 में लाभार्थियों की यह संख्या 3,39,588 थी। एनएपीडीडीआर के तहत, चालू वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 19.03.2025 तक) के दौरान, कुल 6,47,799 लाभार्थियों ने सामाजिक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित उपचार एवं पुनर्वास केंद्रों पर सेवाओं का लाभ उठाया है।

(ख): नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा की गई नशीली दवाओं की जब्ती का तुलनात्मक विवरण और भारत-पाक सीमावर्ती राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में की गई नशीली दवाओं की जब्ती (जब्त नशीली दवाओं के मामले तथा उनकी मात्रा) का विवरण **संलग्नक-I** में है।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की शुरुआत 272 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में की गई थी और अब इसका कार्यान्वयन देश के सभी जिलों में किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान ने उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम जनता तक पहुँच बनाई है और नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाई है। अब तक, एनएमबीए के तहत शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 14.79 करोड़ से अधिक लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें से 4.96 करोड़ से अधिक युवा और 2.97 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 4.16 लाख से अधिक शैक्षिक संस्थानों की भागीदारी से यह सुनिश्चित हुआ है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे। एनएमबीए की शुरूआत के बाद से, नशीली दवाओं मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2023-24 में 5,81,813 तक हो गई है, जबकि वर्ष 2020-21 में लाभार्थियों की यह संख्या 2,08,415 थी।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 का संचालन किया जा रहा है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएँ प्रदान की जा सकें। इस हेल्पलाइन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (टेली मानस) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि मदद मांगने वाले ज़रूरतमंद व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें। टेली मानस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2022 में शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में चौबीसों घंटे निःशुल्क टेली-मेंटल स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।

(ड.): नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने बेहतर सीमा नियंत्रण तंत्र के लिए पड़ोसी देशों के साथ समन्वय और सहयोग में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विवरण **संलग्नक-II** में है।

संलग्नक-I

"नशीली दवाओं की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4012 के भाग (ख) में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष	मामला	मात्रा (किलोग्राम में)
2022	1,02,769	12,53,662
2023	1,09,546	13,89,725
2024	89,913	13,30,600

राज्य /वर्ष	गुजरात		जम्मू और कश्मीर		पंजाब		राजस्थान	
	मामला	मात्रा किलोग्राम में)	मामला	मात्रा (किलोग्राम में)	मामला	मात्रा (किलोग्राम में)	मामला	मात्रा (किलोग्राम में)
2022	516	29,157	1,857	20,857	12,423	51,252	3,738	1,76,321
2023	604	26,624	2,149	11,066	11,564	47,475	5,098	2,94,582
2024	623	20,971	1,539	5,708	9,025	46,227	5,462	2,31,814

संलग्नक-II

"नशीली दवाओं की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4012 के भाग (ड.) में उल्लिखित संलग्नक

1. नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों पर पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि के साथ महानिदेशक (डीजी) स्तर की वार्ता आयोजित की गई है। इस वार्ता का विवरण निम्नानुसार है:
   - भारत और अफ़गानिस्तान के बीच 19-20 अप्रैल, 2018 को डीजी स्तर की दूसरी वार्ता आयोजित की गई थी।
   - डीजी स्तर की वार्ता - एनसीबी, भारत और एएनपी, ईरान के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक 13 अक्टूबर, 2021 को वर्चुअली आयोजित की गई थी। इस तरह की दूसरी बैठक 09-11 मई, 2022 को आयोजित की गई थी।
   - एनसीबी, भारत और सीसीडीएसी, म्यांमार के बीच 7वीं डीजी स्तरीय वार्ता (डीजीएलटी) 24 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई थी।
   - एनसीबी, भारत और एनसीबी, नेपाल के बीच पहली डीजी स्तरीय वार्ता (डीजीएलटी) 09-10 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई थी।
   - एनसीबी, भारत और सीसीडीएसी, म्यांमार के बीच 25वीं सेक्टर स्तरीय बैठक 13-15 जनवरी, 2025 को आयोजित की गई थी।
   - एनसीबी, भारत और डीएनसी, बांग्लादेश के बीच 7वीं डीजी स्तरीय वार्ता (डीजीएलटी) 27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी।
2. भारत नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के क्षेत्र में विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे; शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) आदि का भी सक्रिय सदस्य है।
3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक भाग के रूप में, भारत ने एनडीपीएस और रासायनिक प्रीकर्सर (Chemical Precursor) की अवैध तस्करी के साथ-साथ संबंधित अपराधों से निपटने के लिए पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि सहित 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
4. दूसरे देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा किए जा रहे हैं और नियंत्रित डिलीवरी (सीडी) ऑपरेशन नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

5. सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी) को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी और जब्ती करने का अधिकार दिया गया है।
6. सीमा पर ड्रोन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं।
7. दिनांक 15.11.2021 को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (एनएमएससी) के तहत एनएससीएस द्वारा मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप (एमएएमएसजी) बनाया गया है। एमएएमएसजी के तहत दो उप-समूह बनाए गए हैं - एमएसजी (नीति) और एमएसजी (इंट)। एनसीबी एमएसजी-इंट का स्थायी सदस्य है।
8. नौसेना, तटरक्षक और समुद्री पुलिस के समन्वय से एनसीबी द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त अभियान चलाए गए हैं।
9. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) ने सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत के समुद्री क्षेत्रों में तस्करी विरोधी अभियानों के लिए समुद्री सुरक्षा समन्वय पर एक एसओपी तैयार की है, ताकि एनडीपीएस और संवेदनशील कार्गो सहित प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में तस्करी विरोधी अभियानों की योजना बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अंतर-एजेंसी, अंतर-विभागीय और अंतर-मंत्रालयी समन्वय को बढ़ाया जा सके।
10. भारतीय तटरक्षक बल को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत तटीय और खुले समुद्र में नशीली दवाओं पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है।
11. पत्तन अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंटेनरों सहित सभी सामानों का उचित तरीके से निरीक्षण किया गया हो और उन्हें छोड़ने से पहले मंजूरी दी गई हो।
12. समुद्र में संचालन के लिए तटरक्षक बल द्वारा एनसीबी और पत्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
13. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एडीजी/आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में कार्य करता है और विभिन्न स्तरों पर एनसीओआरडी बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।
14. नार्को-आतंकवाद के मामलों सहित महत्वपूर्ण और आवश्यक ड्रग मामलों की जांच की निगरानी के लिए, भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई, 2019 को महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है। अब तक,

केंद्रीय स्तर पर 09 जेसीसी बैठकें और राज्य स्तर पर 08 जेसीसी बैठकें आयोजित की गई हैं।

15. एमएसी तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक कार्यबल का गठन किया गया है, जिसमें नार्को-तस्करी को सहायता देने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच नशीली दवाओं की तस्करी पर इनपुट साझा करने, ड्रग नेटवर्क को रोकने, रुझानों को लगातार कैप्चर करने, कार्यप्रणाली और नोड्स का नियमित डाटाबेस अपडेट तथा संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

*****